

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारी :- भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 01/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
गोपाराम पुत्र श्री रामाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :-

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.8252 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसके जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 55 पर दर्ज है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने खरीद कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 के उत्तर व पश्चिम दिशा की ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 1 में इन्द्राज है। प्रार्थी के खेत के उत्तर, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 122 के चिपते खसरा नम्बर 123 व खसरा नम्बर 115 गै.मु. रास्ता स्थित है। जा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 से सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 की भूमि में से होते हुए खसरा नम्बर 123, 115 तक रास्ता भूमि की कृषि उपयोग हेतु आने जाने की आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 की भूमि में काश्त कार्य करने हेतु अपनी भूमि में आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 के मार्क ए.बी.सी.डी. की भूमि में से हाकर गुजरता है और यही भूमि यानि मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के रास्ते को उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 122 में से मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता, जो खसरा नम्बर 123 व 115 में पहुचता है, जिसमें खसरा नम्बर 122 गै. मु. मगरा सरकारी भूमि में किसी भी समय रास्ता को सरकारी स्तर पर बंद किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु सरकारी रेकर्डेड रास्ते की आवश्यकता है।



भी समय खातेदारी खेत में आने जाने बाबत अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी को खसरा नम्बर 122 की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के कृषि भूमि में आने जाने हेतु इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 122 में स्थित रास्ता नजरी नक्शे में मार्क अनुसार बंद होने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ सकता है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो जायेगा। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति की जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र पेश कर अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिये आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो रास्ता खसरा नम्बर 123 व 115 तक पहुँचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकॉर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। तथा खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा का फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को माका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा न विवादित भूमि की माका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो माका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मगरा जो सरकारी भूमि है जिस म से आना जाना होता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 115 गैर मुमकीन सड़क (झुरली मोड़ से बीरावास डामर सड़क) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा नम्बर 122 में स 0.1780 हैक्टेयर भूमि आती है जिसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 47208 रूपये बनते हैं।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। माका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 के अनुसार ए.बी.सी.डी. का रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुँचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.8252 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.8980 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 123, 115 गै.मु. सड़क में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प04(52) राज'-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के अनुसार अगर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होने पर एवं सबसे निकटतम सरकारी भूमि में से अधिकतम 30 फुट चौड़ा रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से दिया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 119 व 132/1 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए.बी.सी.डी. भाग को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चालान अदा कर इस न्यायालय में चालान की प्रति पेश करेंगे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 10.02.2021 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक
जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा